

राज्य बजट का अध्ययन व विश्लेषण

बजट समाचार

त्रैमासिक	अंक 59	जनवरी – मार्च 2017	सीमित प्रसार के लिए
------------------	---------------	---------------------------	----------------------------

संपादकीय

राज्य सरकार ने वर्ष 2017–18 के लिये कुल 1.66 लाख करोड़ रुपये का बजट पेश किया है, जिसमें सरकार ने 13528 करोड़ रुपये के राजस्व घाटा तथा 24753 करोड़ रुपये के राजकोषीय घाटा होने का अनुमान लगाया है। आगामी वर्ष में सरकार ने 130 हजार करोड़ रुपये की कुल राजस्व आय का लक्ष्य रखा है, जो पिछले वर्ष के संशोधित अनुमान से लगभग 12 प्रतिशत अधिक है। परन्तु पिछले वर्षों के रुझानों को देखें तो संशोधित अनुमान तथा वास्तविक आय हमेशा बजट अनुमान से कम रहे हैं। चालु वर्ष में राज्य की कुल राजस्व प्राप्तीयों में 7 हजार करोड़ रुपये की कमी का अनुमान है तथा राजस्व घाटे में लगभग 8000 करोड़ रुपये की बढ़ोतरी हुई है।

अगर सामाजिक क्षेत्र की बात करें तो सरकार ने शिक्षा, स्वास्थ्य, शहरी विकास, स्वच्छता एवं पेयजल, अनु. जाति, जन जाति तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण, श्रम कल्याण, सामाजिक कल्याण एवं पोषण तथा ग्रामीण विकास के बजट में कुल मिलाकर पिछले वर्ष के संशोधित अनुमान से 5408 करोड़ तथा बजट अनुमान से मात्र 350 करोड़ रुपये की बढ़ोतरी की है। बजट अनुमान की तुलना में स्वास्थ्य पर मात्र 213 करोड़ तथा शिक्षा पर 2226 करोड़ की बढ़ोतरी की गई है। स्मार्ट सिटी की तमाम घोषणाओं के बावजूद शहरी विकास का बजट पिछले वर्ष की तुलना में 300 करोड़ रुपये कम हुआ है।

इस बजट में सरकार ने अनुसूचित जाति, जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण (अल्पसंख्यक सहित) के बजट में कोई बढ़ोतरी नहीं की है। बजट भाषण में 5000 से अधिक आबादी वाले गांवो को स्मार्ट विलेज बनाने की घोषणा की गई है, लेकिन ग्रामीण विकास का कुल बजट भी पिछले वर्ष के बजट अनुमान के बराबर ही रखा गया है। कृषि तथा संबद्ध क्षेत्र में भी कोई खास बजट बढ़ोतरी नहीं हुई है। सिंचाई के बजट में अवश्य कोई 500 करोड़ रुपये की वृद्धि हुई है।

अगर बात मुख्य केन्द्र प्रवर्तित योजनाओं की करें तो सर्व शिक्षा अभियान का बजट 4550 करोड़ रुपये से नहीं बढ़ा है, जबकि राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान का बजट आधा हो गया है। मध्यान्ह भोजन का बजट भी स्थिर रहा है जबकि राष्ट्रीय समेकित बाल संरक्षण योजना में कटौती की गई है। हालांकि बजट भाषण में नये बाल गृह खोले जाने की घोषणा हुई है।

राजस्थान में शिक्षा एवं बजट

2011 के जनगणना प्रतिवेदन के अनुसार राज्य में साक्षरता दर 67.06 प्रतिशत है, जो देश की औसत साक्षरता दर (74.04 प्रतिशत) से कम है। वर्ष 2001 से 2011 के बीच राजस्थान भारत के राज्यों और संघीय प्रदेशों की सूची में 4 पायदान लुढ़ककर के 29वें स्थान से 33वें स्थान पर पहुँच गया है। पुरुष एवं महिला साक्षरता दर के मामले में भी राजस्थान बाकि राज्यों और संघ राज्यों से बहुत पीछे है। 2011 के जनगणना प्रतिवेदन के अनुसार राज्य में पुरुष साक्षरता दर 80.51 प्रतिशत है जबकि महिला साक्षरता दर केवल 52.66 प्रतिशत है। भारत में महिला साक्षरता की दृष्टि से राजस्थान सबसे नीचे दर्जे पर है। जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में ग्रामीण सास्क्षरता दर (62.34) में देश के अन्तिम पाँच राज्यों में से एक है। शिक्षा के अधिकार कानून हेतु तय मापदंडों के अनुसार भी राज्य की स्थिति बेहद खराब है। प्रस्तुत नोट में राज्य में शिक्षा की स्थिति एवं आवंटित बजट का विश्लेषण प्रस्तुत किया गया है। राज्य के करीब 3.2 प्रतिशत विद्यालयों में पेयजल की सुविधा का अभाव है एवं करीब 1 प्रतिशत विद्यालयों में लड़कों हेतु शौचालय की सुविधा का अभाव है। राज्य में करीब 48 प्रतिशत विद्यालयों में खेल का मैदान नहीं हैं, प्राथमिक विद्यालयों में यह समस्या और अधिक है। इसी प्रकार करीब 45 प्रतिशत विद्यालय ऐसे हैं जिनमें बिजली की सुविधा उपलब्ध नहीं है।

राज्य में करीब 2.7 प्रतिशत ऐसे विद्यालय हैं जो कि मात्र एक ही कक्षाकक्ष में चल रहे हैं और राज्य में कुल 6.3 प्रतिशत प्राथमिक विद्यालयों में मात्र एक ही कक्षाकक्ष है। राज्य में करीब 12 प्रतिशत ऐसे विद्यालय हैं जिन्हें सिर्फ एक ही शिक्षक द्वारा संचालित किया जा रहा है। वहीं प्राथमिक शिक्षा स्तर पर लगभग 29 प्रतिशत विद्यालय मात्र एक ही शिक्षक के सहारे चल रहे हैं। इसी प्रकार प्राथमिक विद्यालयों में विद्यार्थी शिक्षक अनुपात 20 है और राज्य की कुल विधार्थी शिक्षक अनुपात 19 है। राज्य में प्रति विद्यालय औसत अध्यापक 6.1 है और ये अनुपात प्राथमिक विद्यालयों में 2.2 है।

राज्य के विद्यालयों में मानव संसाधन की स्थिति बेहद खराब है, विभिन्न प्रकार के विद्यालयों में शिक्षकों के हजारों पद रिक्त हैं। सरकार से प्राप्त सूचना के आधार पर राज्य में तृतीय श्रेणी शिक्षकों के करीब 37580 पद, विषय अध्यापकों के 16415 पद एवं व्याख्याताओं के करीब 18191 पद रिक्त हैं। इसी प्रकार राज्य के आदर्श विद्यालयों में भी भारी संख्या में पद खाली हैं, इन विद्यालयों में व्याख्याता के करीब 40 प्रतिशत, वरिष्ठ अध्यापकों के 28.5 प्रतिशत एवं तृतीय श्रेणी अध्यापकों के करीब 11 प्रतिशत पद रिक्त है। जबकि सोचने वाली बात यह है कि डाईस के अनुसार राज्य के विद्यालयों में विधार्थी–शिक्षक अनुपात (पी.टी.आर) काफी अच्छा है।

राज्य में शिक्षा हेतु बजट:

तालिका–1 : राजस्थान में सरकार का शिक्षा हेतु बजट एवं व्यय

	(राशि– करोड़ रु. में)							
मद	2013–14 वास्तविक	2014–15 वास्तविक	2015–16 बजट अनुमान	2015–16 संशोधित अनुमान	2015–16 वास्तविक	2016–17 बजट अनुमान	2016–17 संशोधित अनुमान	2017–18 बजट अनुमान
राजस्व	15307.66	19362.93	23707.67	22221.22	21096.95	25222.66	25563.19	26807.18
पूँजीगत	63.36	56.4	116.90	170.04	155.02	239.12	139.12	881.00
कुल व्यय	15371.02	19419.33	23824.57	22391.26	21251.97	25461.78	25702.31	27688.18

स्रोत : बजट पुस्तिका, वित्त विभाग, राजस्थान, संबंधित वर्ष

नोट : शिक्षा पर कुल व्यय में सामान्य शिक्षा, तकनिकी शिक्षा, खेलकूद एवं युवा सेवाएं, कला एवं संस्कृति का राजस्व एवं पूंजीगत व्यय का योग है।

उपरोक्त तालिका के अनुसार वर्ष 2017–18 हेतु पेश किये गये बजट में शिक्षा पर आवंटन में गत वर्षों की तुलना में मामूली वृद्धि हुई है। वर्ष 2017–18 हेतु करीब 27688.18 करोड़ रु आवंटित किये हैं जो गत वर्ष के संशोधित बजट से करीब 7.8 प्रतिशत अधिक है। गत वर्ष 2015–16 हेतु पेश किये गये बजट में शिक्षा हेतु करीब 25461.78 करोड़ रु आवंटित किये गये थे जिसको संशोधित बजट में कुछ

इस बजट में सरकार ने विधवा पेंशन की राशि को बढ़ाया है तथा सभी विकलांगजनों के पेंशन को भी 750 रुपये प्रतिमाह कर दिया है। इसके साथ ही सरकार वृद्धजनों के पेंशन में भी वृद्धि कर सकती थी जो नहीं की गयी है। महिलाओं के लिये चिराली योजना की घोषणा की गई है, जो मुख्यतः एक जागरुकता कार्यक्रम है। इसके साथ 1000 महिला दूध उत्पादन केन्द्र, खोलने बालिका शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए 5000 रुपये तथा छात्रावास में रहने वाले छात्र/छात्राओं को साइकिल दी जायेगी।

राजस्थान सरकार की योजनाओं की बात करें तो मुख्यमंत्री मुफ्त दवा एवं मुफ्त जांच योजनाओं के बजट में बढ़ोतरी की गई है। राज्य सरकार द्वारा पिछले वर्ष शुरू किये गये मुख्यमंत्री राजश्री योजना जिसके अन्तर्गत बच्चियों के जन्म पर 50000 रुपये की राशि दी जाती है, के लिये 196 करोड़ रुपये रखे गये हैं।

खनन क्षेत्रों में 500 करोड़ रुपये स्वास्थ्य, शिक्षा आदि पर खर्च होंगे, लेकिन यह स्पष्ट नहीं है कि अगर यह अतिरिक्त राशि है तो यह खर्च किस विभाग/संस्था के माध्यम से होगा। कोटा तथा जोधपुर में सिलीकोसिस चिकित्सा केन्द्र खोलना अवश्य स्वागत योग्य कदम है परन्तु ऐसे केन्द्रों की आवश्यकता राज्य के अधिकांश जिलों को है।

कुल मिलाकर सरकार ने इस बजट में जहां समाज के सभी वर्गों को खुश करने का प्रयास किया है वहीं बजट का आर्थिक पक्ष बहुत मज़बुत नहीं दिखता। हालांकि आने वाले वर्ष में राजस्व घाटे को न्युनतम रखने तथा राजकोषीय घाटे को 2.99 प्रतिशत रखने का लक्ष्य रखा गया है, परन्तु वर्तमान वित्तिय वर्ष में भी राजकोषीय घाटे 3.37 प्रतिशत रहने का अनुमान है। सरकार की कुल देनदारीयां भी इस वर्ष 2.53 लाख करोड़ है जो राज्य के सकल धरेलू उत्पाद का 33.79 प्रतिशत है जबकि यह वित्त आयोग की सिफारिश के अनुसार 25 प्रतिशत तक ही होना चाहिये। वर्ष 2017–18 में सरकार की कुल देनदारीयां 2.78 करोड़ तक हो जायेंगी। जाहिर है इससे सरकार का ब्याज पर खर्च भी बढ़कर 19626 करोड़ रुपये हो जाने का अनुमान है, जो इस वर्ष 17734 करोड़ पर रुपये है।

ऐसे में सरकार को अपने वित्तिय प्रबंधन को चुस्त रखने की जरूरत है जिससे लोक कल्याणकारी घोषणाओं को पूरा करते हुए राज्य की वित्तिय स्थिति को भी सुदृढ रखा जा सके।

संदर्भ

बढ़ाकर करीब 25702.31 करोड़ रु कर दिया गया है। सरकार द्वारा शिक्षा पर किये गए कुल व्यय में पूंजीगत व्यय मात्र करीब 3.2 प्रतिशत है, जबकि तकरीबन 96.8 प्रतिशत राजस्व है। गत वर्षों की तुलना में वर्ष 2017–18 के बजट अनुमान में पूंजीगत आवंटन में बढ़ोतरी की गयी है।

तालिका–2 : सामान्य शिक्षा पर राजस्व व्यय (2202)

	(राशि– करोड़ रु. में)								
मद	2013–14 वास्तविक	2014–15 संशोधित	2014–15 वास्तविक	2015–16 अनुमान	2015–16 संशोधित	2015–16 वास्तविक	2016–17 अनुमान	2016–17 संशोधित	2017–18 अनुमान
प्राथमिक शिक्षा	8463.62 (56.4)	11749.6 (58.33)	11518.7 (60.80)	13614.5 (58.39)	10854.3 (49.74)	10517.4 (50.74)	11787.7 (47.51)	11041.3 (43.92)	10970.7 (41.58)
माध्यमिक शिक्षा	5265.20 (35.1)	7050.79 (35.01)	6269.00 (32.86)	8246.16 (35.36)	9489.67 (43.49)	8775.45 (42.34)	11442.9 (46.12)	12553.4 (49.93)	13788.8 (52.26)
उच्च शिक्षा	1065.95 (7.1)	1020.37 (5.07)	996.88 (5.23)	1076.50 (4.62)	1175.48 (5.39)	1164.64 (5.62)	1226.54 (4.94)	1225.76 (4.88)	1248.16 (4.73)
प्रौढ़ शिक्षा	29.15 (0.2)	59.4343 (0.30)	57.50 (0.30)	87.46 (0.38)	40.17 (0.18)	19.20 (0.09)	68.10 (0.27)	26.43 (0.11)	58.86 (0.22)
भाषा विकास	141.37 (0.9)	194.12 (0.96)	175.60 (0.92)	212.82 (0.91)	191.04 (0.88)	187.42 (0.9)	205.31 (0.83)	216.48 (0.86)	238.36 (0.90)
सामान्य	53.75 (0.4)	67.58 (0.34)	58.82 (0.31)	79.90 (0.34)	69.86 (0.32)	63.68 (0.31)	82.31 (0.33)	78.17 (0.31)	81.49 (0.31)
कुल	15019.0 (100)	20141.9 (100)	19076.5 (100)	23317.4 (100)	21820.6 (100)	20727.8 (100)	24812.9 (100.)	25141.6 (100)	26386.4 (100)

स्रोत : बजट पुस्तिका, वित विभाग, राजस्थान, संबंधित वर्ष

नोट : () में विभिन्न मदों का कुल व्यय से प्रतिशत है।

शिक्षा बजट में वर्ष 2015–16 तक राजस्व व्यय की करीब आधे से अधिक (54 से 60 प्रतिशत) राशि प्राथमिक शिक्षा पर आवंटित एवं व्यय की जाती थी, जबकि माध्यमिक शिक्षा पर करीब 33 से 39 प्रतिशत राशि व्यय की जाती रही है। जबकि वर्ष 2015–16 एवं 2016–17 के संशोधित बजट एवं 2016–17 एवं 2017–18 के बजट अनुमान में प्राथमिक शिक्षा में लगातार कटौती कर माध्यमिक शिक्षा में बढ़ोतरी की गयी है। कुल शिक्षा बजट का केवल 4 से 5 प्रतिशत ही उच्च शिक्षा पर व्यय हो रहा है। इसके अलावा पिछले वर्षों की तुलना में इस वर्ष प्रौढ़ शिक्षा एवं भाषा विकास में भी थोड़ी कमी देखी जा सकती है।

तालिका–3 : शिक्षा, खेलकुद कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत व्यय (4204)

	(राशि करोड़ में)								
वर्ष	2013–14 वास्तविक	2014–15 संशोधित	2014–15 वास्तविक	2015–16 अनुमान	2015–16 संशोधित	2015–16 वास्तविक	2016–17 अनुमान	2016–17 संशोधित	2017–18 अनुमान
राशि	63.36	76.19	56.40	116.90	170.04	155.0	239.1	139.1	881.7

स्रोत : बजट पुस्तिका, वित विभाग, राजस्थान, संबंधित वर्ष

जैसा कि उपर स्पष्ट किया गया है कि सरकार द्वारा शिक्षा पर किये गए कुल व्यय में पूंजीगत व्यय 2–3 प्रतिशत है, जबकि करीब 97–98 प्रतिशत से ज्यादा राजस्व व्यय है। अतः शिक्षा पर कुल व्यय में अधिकांश व्यय राजस्व मदों के अंतर्गत किया जाता है। शिक्षा हेतु पूंजीगत बजट में वर्ष 2017–18 के बजट अनुमान में गत वर्षों की तुलना में अच्छी बढ़ोतरी की गयी है।

राज्य में सर्व शिक्षा अभियान का बजट : केन्द्र सरकार ने सर्व शिक्षा अभियान कार्यक्रम के अन्तर्गत अपना सहायता अनुपात धीरे–धीरे कम कर दिया है। सर्व शिक्षा अभियान में वर्ष 2016–17 एवं 2017–18 के बजट में केन्द्र एवं राज्य सरकार का हिस्सा क्रमशः 60 व 40 प्रतिशत है।

शेष पृष्ठ 4 पर

राज्य में बच्चों की स्थिति एवं बजट

राष्ट्रीय स्तर पर स्थिति: भारत में करीब 47.2 करोड़ आबादी 0 से 18 वर्ष तक की आयु वर्ग के बच्चों की है, जो देश की कुल आबादी का करीब 39 प्रतिशत है। लेकिन देश में सामाजिक एवं आर्थिक पैमाने पर बच्चों की स्थिति काफी खराब है, चाहे वो अधिकार एवं विकास की दृष्टि से हो या सुरक्षा एवं संरक्षण के लिहाज से। हालांकि बच्चों के अधिकारों के संरक्षण हेतु 1989 के संयुक्त राष्ट्र बाल अधिकार संधिपत्र पर हस्ताक्षर करने वाले विश्व के करीब 193 देशों में भारत भी शामिल है, लेकिन देश में आज भी एक तरफ बड़े पैमाने पर बच्चे बाल मजदूरी, बच्चों की तस्करी एवं विभिन्न प्रकार के शोषण के शिकार हैं और दूसरी ओर बड़ी संख्या में बच्चे कुपोषण एवं खराब स्वास्थ्य से ग्रसित हैं। भारत सरकार ने वर्ष 2013 में बच्चों के अधिकारों एवं संरक्षण को सुनिश्चित करने हेतु नई “राष्ट्रीय बाल नीति 2013” अपनाई। हालांकि यह नीति बच्चों को राष्ट्रीय संपदा मानकर इनके अधिकारों पर जोर देती है लेकिन देश में केन्द्रीय एवं राज्य बजट का आंकलन किया जाये तो इनके विकास एवं संरक्षण हेतु पर्याप्त आवंटन नहीं किया जाता है।

राज्य स्तर पर स्थिति: राजस्थान में भी करीब 2.99 करोड़ जनसंख्या (जनगणना 2011) 18 वर्ष से कम आयु वर्ग की है जो राज्य की कुल आबादी का करीब 39 प्रतिशत है। वहीं अगर 0—6 आयु वर्ग के बच्चों की बात की जाये तो 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य की कुल आबादी में करीब 15.5 प्रतिशत इस आयु वर्ग की है। राज्य में बच्चों की स्थिति काफी कमज़ोर है एवं राजस्थान की बालिका नीति–2013 के अनुसार राज्य में करीब 12.62 लाख (जनगणना 2001) बाल श्रमिक हैं जिसमें भी करीब 7 लाख बालिकायें हैं। राज्य में करीब 22 प्रतिशत लड़कियों की शादी वैधानिक उम्र से पूर्व हो जाती है। इसी प्रकार बच्चों में स्वास्थ्य एवं पोषण की स्थितियां भी राज्य में बेहद खराब है। राज्य में बच्चों को केन्द्रीत करते हुये केन्द्र एवं राज्य सरकार द्वारा विभिन्न विभागों के माध्यम से कार्यक्रम एवं योजनाएं चलाये जा रहे हैं जो मुख्य रुप से बच्चों की शिक्षा, संरक्षण, स्वास्थ्य, बाल विकास एवं पोषण से संबंधित हैं। प्रस्तुत नोट में राज्य में बच्चों की स्थिति एवं बजट का विवरण प्रस्तुत किया गया है।

राज्य में बाल केन्द्रीत बजट एवं व्यय : राज्य में बाल केन्द्रीत बजट एवं व्यय का आंकलन करने के लिये विभिन्न विभागों में बाल केन्द्रीत योजनाओं एवं कार्यक्रमों के बजट को प्राक्कलित किया गया है। जिसको मुख्य रुप से चार क्षेत्रों शिक्षा, बाल संरक्षण, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, बाल विकास एवं पोषण आदि में विभक्त किया गया है।

राज्य में बाल केन्द्रीत बजट का विवरण निम्न तालिका में प्रस्तुत किया गया है। राज्य में मोटे तौर पर बाल केन्द्रीत कार्यक्रमों पर कुल राज्य बजट की तकरीबन 18 से 20 प्रतिशत राशि व्यय की जाती है, पर विभिन्न वर्षों में इसमें उतार चढ़ाव देखा जा सकता है।

तालिका 1: राज्य में बाल केन्द्रीत बजट एवं व्यय का विवरण

	(राशि करोड़ रु. में)						
मद/वर्ष	2014–15 वास्तविक	2015–16 अनुमान	2015–16 संशोधित	2015–16 वास्तविक	2016–17 अनुमान	2016–17 संशोधित	2017–18 अनुमान
शिक्षा	18614.06	22919.56	21509.39	20427.64	24537.18	25156.83	26532.44
बाल संरक्षण	184.94	204.35	190.52	173.38	200.10	173.08	179.00
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	2037.63	3047.80	2573.166	2462.31	2595.933	2316.63	2053.53
विकास एवं पोषण	1977.81	2355.14	2275.51	1343.68	2376.53	2217.23	2298.26
कुल बाल केन्द्रीत बजट	22814.44	28526.84	26548.54	24407.01	29709.75	29863.78	31063.24
कुल राज्य बजट	116605.48	137713.39	137455.8	129736.02	151127.7	148506.69	29011.35
राज्य बजट से प्रतिशत	19.57%	20.71%	19.31%	18.81%	19.66%	20.11%	18.63%

स्रोत: बजट पुस्तिका, वित्त विभाग, राजस्थान सरकार, विभिन्न वर्ष

उपरोक्त तालिका द्वारा यह देखा जा सकता है कि प्रत्येक वर्ष राज्य बजट का करीब 19–20 प्रतिशत भाग बच्चों के विकास के ऊपर आवंटित किया जाता है। वर्ष 2016–17 की तुलना में 2017–18 में बाल शिक्षा में 1995.26 करोड़ रु. की बढ़ोतरी हुई है, वहीं दूसरी ओर बाल संरक्षण को 21.1 करोड़ रु, बाल विकास एवं पोषण को 78.27 करोड़ रु. और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण को 542.40 करोड़ रु. की राशि आवंटित की गई है। इस वर्ष कुल राज्य बजट में बाल बजट का प्रतिशत वर्ष 2016–17 के बजट अनुमान के मुकाबले 1.03 प्रतिशत घट गया है जो चिंताजनक बात है।

वर्ष 2016–17 में राज्य के कुल बजट में इसी वर्ष के संशोधित बजट की तुलना में लगभग 2621.01 करोड़ रु. की गिरावट आयी है परंतु बाल बजट में 154.03 करोड़ रु की बढ़ोतरी हुई है। तालिका द्वारा यह भी देखा जा सकता है। कि वर्ष 2015–16 का वास्तविक खर्च इसी वर्ष के संशोधित बजट के मुकाबले भी कम रहा है, इससे यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि राज्य सरकार बजट को पूर्ण रुप से खर्च नहीं कर पा रही है।

बाल केन्द्रीत बजट का क्षेत्रवार विश्लेषण : जैसा कि पहले यह उल्लेख किया जा चुका है कि बाल बजट का आंकलन करने के लिये राज्य में बाल केन्द्रीत योजनाओं एवं कार्यक्रमों को चार क्षेत्रों में बांटा गया है। राज्य में बाल बजट का क्षेत्रवार विश्लेषण किया जाये तो सर्वाधिक आवंटन एवं व्यय (करीब 80 प्रतिशत) शिक्षा पर किया जाता है। साथ ही बाल संरक्षण पर 1 प्रतिशत से भी कम राशि आवंटित की जाती है जबकि स्वास्थ (परिवार कल्याण सहित) पर 5 से 7 प्रतिशत तथा शेष बाल विकास एवं पोषण पर आवंटित किया जाता है। अत: बाल केन्द्रीत बजट की अधिकांश राशि शिक्षा एवं संबंधित मदों पर व्यय की जाती है।

इससे स्पष्ट होता है कि राज्य के कुल बाल बजट में बाल संरक्षण एवं स्वास्थ्य संबंधी योजनाओं पर बजट आवंटन तुलनात्मक रुप से बहुत ही कम है। अत: बच्चों के स्वास्थ्य एवं संरक्षण संबंधी योजनाओं के बेहतर क्रियांवयन एवं इनको मजबूत करने हेतु बजट आवंटन बढ़ाने की आवश्यकता है।

राज्य में बच्चों से संबंधित प्रमख मुद्दे:

- राज्य में करीब 12.62 लाख बाल श्रमिक हैं जिसमें भी करीब 7 लाख बालिकायें हैं। जबकि बाल श्रमिकों के कल्याण हेतु बजट नहीं के बराबर है।
- राज्य में बड़ी संख्या में बच्चे कुपोषण एवं खराब स्वास्थ्य से ग्रसित हैं। राज्य में करीब 36.8 प्रतिशत बच्चे कुपोषण से ग्रसित हैं साथ ही शिशु मृत्यु दर भी 43 (1000 जीवित जन्म पर) है जो राष्ट्रीय औसत से अधिक है।
- राज्य में बाल केन्द्रीत बजट का अधिकांश हिस्सा शिक्षा एवं संबंधित गतिविधियों पर व्यय किया जाता है वहीं स्वास्थ्य क्षेत्र (परिवार कल्याण सहित) पर करीब 5 प्रतिशत राशि व्यय की जाती है।
- यदि स्वास्थ्य क्षेत्र के बजट में से परिवार कल्याण के बजट को हटा दिया जाये तो यह भी 1 प्रतिशत से कम रह जाता है।
- राज्य में बाल संरक्षण संबंधित योजनाओं पर 1 प्रतिशत से भी कम राशि आवंटित की जाती है जबकि बाल संरक्षण संबंधित योजनाओं में समंवित बाल संरक्षण योजना, बाल श्रमिक कल्याण एवं समाजिक सुरक्षा तथा कल्याण संबंधी महत्त्वपूर्ण कार्यक्रम शामिल हैं।

राज्य में महिलाओं के लिये बजट का विश्लेषण

वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य में करीब 3.2 करोड़ महिलाएं हैं। जिनमें 2.4 करोड़ महिलाएं (75 प्रतिशत) ग्रामीण क्षेत्रों में तथा 81 लाख महिलाएं (25 प्रतिशत) शहरी क्षेत्रों में निवास कर रही हैं। राजस्थान में लिंगानुपात वर्ष 2001 में 922 से बढ़कर वर्ष 2017 में 927 महिलाएं प्रति 1000 पुरुष हो गया है। परन्तु यह देश के लिंगानुपात की तुलना में कम है।

राज्य में महिलाओं के लिये बजट : राजस्थान में महिला विकास एवं सशक्तिकरण के लिये महिला एवं बाल विकास विभाग प्रमुख एजेंसी है जिसके द्वारा राज्य में कई कार्यक्रम चलाये जा रहे हैं जैसे मुख्यमंत्री सात सूत्रीय महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम, महिला स्वयं सहायता समूह कार्यक्रम, महिला विकास कार्यक्रम, स्वावलम्बन योजना, राज्य महिला आयोग, भामाशाह योजना, जेंडर संवेदनशील बजटिंग, किशोरी शक्ति योजना, घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम 2005 आदि। इन कार्यक्रमों के लिये बजट आवंटन मुख्य शीर्ष “सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण” में किया जाता है।

वर्ष 2017—18 के लिये पारित राज्य के कूल बजट 181753.9 करोड़ रु. में से महिला एवं बाल विकास के लिये 1896.98 करोड़ रु. रखे गये हैं जो कि राज्य के कुल बजट का 1 प्रतिशत ही है। पिछले वर्ष के संशोधित बजट की तुलना में यह करीब 270 करोड़ रु. ज्यादा है। वर्ष 2016—17 के लिये राज्य का कुल बजट 171260.99 करोड़ रु. था जिसमें महिलाओं के कल्याण के लिये कुल 1748 करोड़ रु. आवंटित किए गए जो राज्य के कुल बजट का केवल 1.02 प्रतिशत था। इसी तरह वर्ष 2015–16 में महिलाओं के कल्याण के लिये राज्य के कुल खर्च का 1.2 प्रतिशत तथा 2014—15 में राज्य के कुल खर्च का 1.5 प्रतिशत व्यय किया गया था। देखा जाये तो पिछले तीन वर्षों में महिलाओं के कल्याण के लिये किया जाने वाला खर्च घटा है।

सारणी 1: राज्य में महिला एवं बाल विकास विभाग के लिये बजट

	2015-16 AE				2016-17 RE			2017-18 BE			
मद	आयो,मिन्न	आयोजना	योग	केन्द्रीय सहायता	आयो, मिन्न	आयोजना	योग	आयो, मिन्न	आयोजना	योग	केन्द्रीय सहायता
राजस्व व्यय											
महिला कल्याण	4.66	6.58	11.24	..	5.44	11.37	16.81	2.6	28.57	6.19	34.76
जिला पंचायतों को आवंटन	6.44	29.82	36.26	..	6.77	78.36	85.13	5.28	240.28	9.51	249.8
पोषण	91.24	12.14	103.38		107.75	1374.41	1482.16	648.62	858.47	645.06	1503.53
राजस्व व्यय योग	102.34	48.54	150.88		119.96	1464.14	1584.10	656.5	1127.32	660.76	1788.09
पूँजीगत व्यय											
महिला कल्याण अनुसूचित जाति उपयोजना	..	..	..	..	..	0	0	0	..	0.3	0.3
जनजाति क्षेत्र उपयोजना	..	..	..	..	..	0	0	0	..	0.46	0.46
पोषण	..	55.8	55.8	..	..	40.42	40.42	20.99	44.92	59.88	104.8
अन्य											
पूँजीगत व्यय योग		57.4	57.4		..	42.25	42.25	21.99	46.55	62.34	108.89
महायोग	102.34	105.94	208.28	0	119.96	1506.39	1626.35	678.49	1173.87	723.1	1896.98

स्रोत – बजट पुस्तकों के आधार पर

उपरोक्त सारणी के अनुसार वर्ष 2017–18 में महिला कल्याण के लिये आवंटन पिछले वर्ष के संशोधित अनुमान से 17.95 करोड़ रु. बढ़ा है। हांलाकि हर साल वास्तविक बजट संशोधित अनुमान से तथा संशोधित अनुमान बजट अनुमान से कम ही रहता है। सबसे ज्यादा बढ़ोतरी महिला अधिकारिता के जिला स्तरीय कार्यालयों के बजट में हुयी है, पिछले वर्ष के संशोधित अनुमान की तुलना में इस वर्ष 164.67 करोड़ रु. की बढ़ोतरी की गई है। वर्तमान वर्ष के बजट अनुमान में 2016–17 के संशोधित अनुमान से 99 करोड़ रु. तथा 2014–15 के लेखे से 266 करोड़ रु की वृद्धी हुई है।

महिला कल्याण के लिये 2015–16 के संशोधित अनुमान में इसी वर्ष के बजट अनुमान की तुलना में करीब 133 करोड़ रु की कमी हुई है, यह कमी मुख्य रुप से पोषण के लियेआवंटित पूंजीगत बजट के अंतर्गत की गई है।

महिला सुरक्षा : महिला सुरक्षा की दृष्टि से राजस्थान की स्थिति काफी चिंतनीय है। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के अनुसार, राजस्थान महिलाओं के खिलाफ अपराध में शीर्ष पांच राज्यों में आता है। महिलाओं के खिलाफ राष्ट्रीय अपराध दर वर्ष 2015 में 53.9 प्रतिशत तथा राजस्थान में 81.5 प्रतिशत रही। वर्तमान वर्ष में मुख्यमंत्री महोदया ने महिलाओं के लिये अपराजिता योजना के तहत 15 जिलों में वन स्टॉप काईसिस सेंटर खोलने की बात कही है लेकिन इसके लिए बजट में केवल 1 करोड़ रुपये का प्रावधान रखा गया है। इसी तरह चिराली योजना जो राज्य के 7 जिलों में संचालित होगी, के लिए केवल 2 करोड़ का प्रावधान रखा गया है। राजस्थान में 39 महिला सलाह सुरक्षा केन्द्र हैं परन्तु इनके लिए हर वर्ष 1.5 करोड़ प्रति केंद्र से भी कम का बजट रखा जाता है। इसके साथ ही वर्ष 2005 में पारित घरेलू हिंसा से बचाव अधिनियम के लिए अभी तक कोई बजट जारी नहीं हुआ है और ना ही इस अधिनियम के तहत किन्हीं सुरक्षा अफसरों की नियुक्ति की गई है।

राजस्थान में जेण्डर बजट : राजस्थान सरकार ने वर्ष 2006–07 में पहली बार, राजस्व विभाग सहित, अपने 6 विभागों का जेण्डर बजट विश्लेषण किया जिसके पश्चात वर्ष 2007–08 में भी 8 विभागों का जेण्डर बजट विश्लेषण किया गया। वर्ष 2009 में महिला एवं बाल विकास विभाग में जेण्डर बजट सेल की स्थापना की गयी तथा 2010 में मुख्य सचिव के नेतृत्व में एक उच्च स्तरीय समिति बनाई गयी। अगस्त 2011 में जारी किये गये बजट सकुलर में पहली बार जेण्डर बजट को लागू करने की बात की गयी। तथा राजस्थान बजट 2012–13 में पहली बार जेण्डर बजट विवरण जारी किया गया, जिसमें सरकारी कार्यक्रमों को महिला लाभार्थीयों के प्रतिशत के अनुसार निम्न श्रेणियाँ प्रदान की गई।

सारणी 2: राज्य के जेण्डर बजट विवरण में सरकारी कार्यक्रमों को दिये जाने वाली श्रेणियाँ

श्रेणी	महिला लाभार्थीयों का प्रतिशत
A	>70%
B	70-30%
C	30-10%
D	<10%

स्रोत – बजट पुस्तकों के आधार पर

लेकिन यह गौरतलब है कि सारणी 2 में दर्शायी श्रेणियाँ कार्यक्रमों/योजनाओं को ना देकर उन कार्यक्रमों/योजनाओं के गैर योजना, योजना तथा केंद्र प्रवर्तित मद को अलग अलग दी जाती हैं।

राज्य का जेण्डर बजट का विश्लेषण : राजस्थान विधानसभा में पेश किये गये बजट के जेण्डर घटक में बीते वर्ष के जेण्डर बजट की ही तरह फिर से बजट फाइनलिजेशन कमेटी (बी.एफ.सी) वार सूचना दी गयी है। हालांकि इस वर्ष क्योंकि बजट पेश करने के तरीके में बदलाव किये गये हैं इसलिये जेण्डर बजट विवरण को गैर योजना तथा योजना खर्च में ना दिखा कर राजस्व एवं पूंजीगत खर्च में दिखाया गया है। वर्ष 2017–18 में राज्य के कुल बजट का केवल 31.18 प्रतिशत ही जेण्डर घटक के लिये प्रस्तावित किया गया है। वर्ष 2016–17 में राज्य के कुल योजना खर्च के जेण्डर घटक में वर्ष 2015–16 की तुलना में लगभग 0.28% तथा गैर योजनागत खर्च के जेण्डर घटक में 1.01% की कमी हुयी थी।

सारणी 3 : 2017–18 में राज्य के कुल बजट में जेण्डर घटक

खर्च	राज्य का कुल बजट	जेण्डर घटक	%
राजस्व	143690.09	42309.61	29.45
पूँजिगत	25603.08	10480.58	40.93
कुल	169293.17	52790.19	31.18

स्रोत: बजट पुस्तकों के आधार पर

शेष पृष्ठ 4 पर.....

राज्य में महानरेगा की स्थिति

वर्तमान वर्ष 2017-18 के राज्य बजट से महानरेगा योजना अंतर्गत कुल आवंटन में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन किया गया है कि केन्द्र सरकार ने महानरेगा योजनान्तर्गत श्रमिकों के मजदूरी भुगतान के लिये 01 अप्रैल 2016 से एक नई पद्धति National Electronic Fund Management System (NeFMS) लागू की है। जिसके अंतर्गत महानरेगा में श्रमिकों को मजदूरी का भुगतान अब सीधे केन्द्र से श्रमिकों के खातों में किया जा रहा है जिसकी जानकारी राज्य सरकार द्वारा अपनी बजट पुस्तिकाओं में उपलब्ध नहीं करवाई जा रही है। यह ध्यातव्य रहे कि इस लेख में महानरेगा के बजट का विश्लेषण केवल सामग्री बजट की जानकारी पर निर्भर है।

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (केवल राज्यांश) (राशि करोड़ में)							
महानरेगा	2011-12 वास्तविक	2012-13 वास्तविक	2013-14 वास्तविक	2014-15 संशोधित	2015-16 संशोधित	2016-17 संशोधित	2017-18 अनुमानित
राशि	200.00	266.00	388.50	349.86	361.00	313.58	494.75

स्रोत - बजट पुस्तकों के आधार पर

राज्य एवं केन्द्र का संयुक्त राशि आवंटन (राशि करोड़ में)				
वर्ष	2014-15 संशोधित	2015-16 संशोधित	2016-17 संशोधित	2017-18 अनुमानित
कुल	3849.86	3809.95	1825.85	1994.75
केन्द्रीयांश	3500.00	3448.95		

स्रोत - बजट पुस्तकों के आधार पर

महानरेगा योजना के लिये वर्ष 2017-18 में कुल 1994.75 करोड़ तथा 2016-17 के संशोधित बजट में 1825.85 करोड़ का आवंटन किया गया है लेकिन यह केवल महानरेगा योजनान्तर्गत सामग्री मद में प्रस्तावित राशि की जानकारी है। वर्ष 2017-18 में वर्ष 2016-17 की तुलना में महानरेगा के सामग्री मद में 170 करोड़ रु. अधिक का आवंटन किया गया है। वर्ष 2014-15 तथा 2016-17 के अलावा पिछले सभी वर्षों में राज्य सरकार ने महानरेगा योजना के लिये राज्यांश की राशि में बढ़ोत्तरी की है। यहां ध्यातव्य रहे कि राज्य सरकार, महानरेगा के कुल सामग्री बजट में लगभग 25 प्रतिशत राशि का योगदान करती है।

महानरेगा योजना की भौतिक प्रगति					
क्र.सं.	विवरण	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17 फरवरी तक
1	जॉब कार्डधारी परिवार (लाख में)	98.30	98.46	99.36	95.15
2	कार्य पर नियोजित परिवार (लाख में)	36.15	36.87	42.21	42.99
3	कुल सृजित मानव दिवस (लाख में)	1838.55	1686.19	2341.34	2146.96
4	महिलाओं के मानव दिवस (लाख में)	1245.76	1150.97	1616.06	1441.09
5	100 दिवस कार्य वाले परिवार (लाख में)	4.46	2.81	4.69	2.12
6	औसत रोजगार दिवस प्रति परिवार	51	46	55	50
7	औसत श्रमिक दर रु. प्रति मानव दिवस	107	115	120	131

स्रोत - महानरेगा की वेबसाइट के आधार पर

उपरोक्त सारणी के अध्ययन से कहा जा सकता है कि वर्ष 2011-12 से 2013-14 तक वर्ष दर वर्ष महानरेगा की भौतिक प्रगति में कमी देखने में आई है। कार्य पर नियोजित परिवारों की संख्या पिछले चार वर्ष में 36.15 लाख से बढ़कर वर्तमान वर्ष में 42.99 लाख जरूर हो गई है। महिलाओं के मानव दिवसों की संख्या में पिछले वर्ष की तुलना में 2016-17 में भारी कमी देखने में आई है लेकिन वर्तमान वर्ष में औसत रोजगार दिवस प्रति परिवार तथा 100 दिन पूरे करने वाले परिवारों की संख्या में पिछले वर्ष की तुलना में वर्ष 2016-17 में कमी देखी जा सकती है।

पृष्ठ 2 का शेष राज्य में महिलाओं के लिये बजट का विश्लेषण

आगामी वर्ष के दौरान महिलाओं के कल्याण के लिये निश्चित की गयी योजनाओं एवं उन पर किये जाने वाले खर्च के बारे में इस बजट से कुछ निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता है। जैसा कि शुरू में जिक्र किया गया है जेण्डर बजट में सूचना ना तो मुख्य शीर्षवार दी गयी है ना ही विभागवार बल्कि बी. एफ.सी वार दी गयी है। जिस कारण योजनाओं/कार्यक्रमों को भी कोई एक श्रेणी नहीं दी गयी है तथा उनके गैर योजना खर्च, योजना खर्च व केन्द्र प्रायोजित योजना खर्च में तथा नये नियमों के अनुसार राजस्व एवं पूंजीगत खर्च में दी जाती है। अतः किसी योजना/कार्यक्रम के बारे में कुछ निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता।

सारणी 4.1: जेण्डर बजट विवरण के अनुसार योजनाओं/कार्यक्रमों का वर्गीकरण

व्यय मद	A			B			C			D			कुल		
	2014-15	2015-16	2016-17	2014-15	2015-16	2016-17	2014-15	2015-16	2016-17	2014-15	2015-16	2016-17	2014-15	2015-16	2016-17
आयो. भिन्न	22	23	22	185	164	195	107	95	99	37	59	49	351	341	365
प्रतिशत (%)	6.26	6.74	6.02	52.7	48.09	53.42	30.48	27.8	27.12	10.54	17.3	13.42	100	100	100
योजना	72	86	94	453	430	491	162	193	66	38	34	37	725	743	688
प्रतिशत (%)	9.93	11.57	13.66	62.48	57.8	71.36	22.34	25.9	9.5	5.24	4.57	5.3	100	100	100
केन्द्रीय सहायता	19			39			27			25			110		
प्रतिशत	17.27			35.45			24.54			22.72			100		

स्रोत: बजट पुस्तकों के आधार पर

सारणी 4.2: 2017-18 में बजट की सूचना में बदलाव के बाद जेण्डर बजट विवरण का वर्गीकरण

श्रेणि	राजस्व	%	पूंजीगत	%
A	118	14.3	9	2.5
B	457	55.3	268	75.07
C	197	23.8	77	21.5
D	53	6.4	3	0.8
कुल	825	100	357	100

उपरोक्त सारणीयों से पता चलता है कि हर वर्ष की ही तरह इस वर्ष भी 'बी' श्रेणी सबसे ज्यादा योजनाओं/कार्यक्रमों को दी गयी है। वर्ष 2016-17 में जेण्डर बजट विवरण के अनुसार जेण्डर बजट के योजना खर्च में 'ए' एवं 'बी' श्रेणी की योजनाओं/कार्यक्रमों में पिछले वर्ष की तुलना में तकरीबन 2% की तथा 13% तक की वृद्धि हुई है। इसके साथ ही 'सी' श्रेणी की योजनाओं/कार्यक्रमों में पिछले वर्ष की तुलना में तकरीबन 16.4% तक की कमी आयी है एवं 'डी' श्रेणी की योजनाओं/कार्यक्रमों की संख्या लगभग पिछले वर्ष के बराबर हैं। गैर योजना खर्च में 'ए' श्रेणी की योजनाओं/कार्यक्रमों में मामूली कमी हुयी है जबकि बी एवं सी श्रेणी की योजनाओं/कार्यक्रमों में अच्छी खासी वृद्धि हुयी है। साथ ही 'डी' श्रेणी की योजनाओं/कार्यक्रमों में लगभग 4% की कमी हुयी है।

पृष्ठ 1 का शेष, राज्य में शिक्षा एवं बजट

तालिका-4 : राज्य में सर्व शिक्षा अभियान का बजट

(राशि- करोड़ रु. में)

मद / वर्ष	2014-15 बजट अनुमान	2014-15 संशोधित अनुमान	2014-15 वास्तविक व्यय	2015-16 बजट अनुमान	2015-16 संशोधित अनुमान	2015-16 वास्तविक व्यय	2016-17 बजट अनुमान	2016-17 संशोधित अनुमान	2017-18 बजट व्यय
केन्द्रीय अनुदान	2874.01 (66.20)	2858.91 (68.21)	—	1296.71 (26.00)	2615.00 (64.97)	—	2718.43 (60)	2718.43 (60)	—
राज्यांश	1467.55 (33.80)	1332.64 (31.79)	—	3690.63 (74.00)	1410 (35.03)	—	1812.28 (40)	1812.29 (40)	—
कुल योग	4341.56 (100)	4191.55 (100)	4119.648	4987.34 (100)	4025 (100)	4025.00	4530.71 (100)	4530.72 (100)	4530.72 (100)

स्रोत : बजट पुस्तिका, वित्त विभाग, राजस्थान, संबंधित वर्ष

वर्ष 2014-15 से केन्द्र सरकार द्वारा सर्व शिक्षा अभियान हेतु आवंटित होने वाले बजट को राज्य के आयोजना बजट में शामिल किया गया था। इससे पहले सर्व शिक्षा अभियान की राशि केन्द्र सरकार द्वारा राज्य के प्रारंभिक शिक्षा परिषद को प्रदान की जाती थी। यह राशि वर्ष 2014-15 से राज्य सरकार को प्रदान की जाती है। सर्व शिक्षा अभियान की अधिकांश राशि शिक्षकों के वेतन पर व्यय होती है, वित्तीय वर्ष 2016-17 में एस.एस.ए. के कुल आवंटित बजट का लगभग 90 प्रतिशत वेतन भत्ते के लिए आवंटित किया गया था। वित्तीय वर्ष 2017-18 के बजट अनुमान में एस.एस.ए का कुल बजट 2016-17 के बजट अनुमान एवं संशोधित अनुमान के बराबर ही रखा गया है।

तालिका-5 : राज्य में माध्यमिक शिक्षा अभियान का बजट

(राशि- करोड़ रु. में)

मद	2014-15 बजट अनुमान	2014-15 संशोधित अनुमान	2014-15 वास्तविक व्यय	2015-16 बजट अनुमान	2015-16 संशोधित अनुमान	2015-16 वास्तविक व्यय	2016-17 बजट अनुमान	2016-17 संशोधित अनुमान	2017-18 बजट अनुमान
कुल बजट	1155.54	551.57	413.50	1086.48	721.87	588.55	1538.00	619.00	700
केन्द्रीयांश	685.07	301.18	—	814.86	410.32	—	900.00	358.12	—

स्रोत : बजट पुस्तिका, वित्त विभाग, राजस्थान, संबंधित वर्ष

उपरोक्त तालिका के अनुसार इस वर्ष राज्य में माध्यमिक शिक्षा अभियान के बजट में गत वर्ष के बजट अनुमान की तुलना में लगभग 838 करोड़ रु. की कमी की गयी है। उपरोक्त आंकड़ों से स्पष्ट होता है कि सरकार माध्यमिक शिक्षा अभियान के लिए आवंटित राशि में से बहुत कम खर्च कर पा रही है, अगर हम 2014-15, 2015-16 एवं 2016-17 के संशोधित अनुमान की राशि देखें तो हमें ज्ञात होगा कि ये इन वर्षों के बजट अनुमान से काफी कम है, साथ ही इन वर्षों में वास्तविक व्यय तो और भी कम है।

प्रारंभिक शिक्षा में प्रति बालक एवं प्रति विद्यालय हेतु एक वर्ष के बजट का आंकलन : राज्य में वर्ष 2014-15 में प्रति बालक करीब 18961.25 रु. एवं वर्ष 2015-16 में प्रति बालक करीब 16461.72 रु खर्च किये गये। जबकि संशोधित बजट के अनुसार वर्ष 2016-17 में प्रति बालक करीब 17562.24 रु. एवं वर्ष 2017-18 के बजट अनुमान के अनुसार इस साल प्रति बालक करीब 17449.91 रु आवंटित किये गये हैं। इसी प्रकार वर्ष 2014-15 में प्रति विद्यालय करीब 14.56 लाख रु. एवं वर्ष 2015-16 में प्रति विद्यालय करीब 13.30 लाख रु. खर्च किये गये। जबकि वर्ष 2016-17 में प्रति विद्यालय करीब 13.79 लाख रु एवं वर्ष 2017-18 में प्रति विद्यालय करीब 14.21 लाख रु आवंटित किये गये हैं।

उपरोक्त विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि राज्य के विद्यालयों में भौतिक एवं मानवीय संसाधनों की कमी है अतः सरकार को विद्यालयों में मूलभूत सुविधाओं एवं संसाधनों का विकास करना चाहिये। इसके साथ ही शिक्षकों के रिक्त पदों को शीघ्र भरना चाहिये। इस हेतु राज्य में शिक्षा पर बजट खर्च को बढ़ाना चाहिये, क्योंकि वर्तमान में सरकार राज्य में सकल घरेलू राज्य उत्पाद का मात्र करीब 3 प्रतिशत ही शिक्षा पर खर्च कर रही है। जबकि कोठारी आयोग की सिफारिशों के अनुसार सकल घरेलू उत्पाद का कम से कम 6 प्रतिशत शिक्षा पर व्यय किया जाना चाहिये। इसके अलावा विद्यालयों की शैक्षणिक गतिविधियों, बजट खर्च एवं इनको मिलने वाले विभिन्न अनुदानों की निगरानी एवं इनके उपयोग में समुदाय की भागीदारी सुनिश्चित की जानी चाहिये।

सेवा में,

बुक पोस्ट

श्रीमान / श्रीमती.....

.....

..... पिन कोड

संपादक

- नेसार अहमद

संपादक मण्डल

- महेन्द्र सिंह राव

- भूपेन्द्र कौशिक

- बरखा माथुर

- मौलीश्री धस्माना

सहयोग

- अंकुश वर्मा

- भीमसिंह मीणा

सलाहकार

- डॉ जिनी श्रीवास्तव

विभिन्न विभागों की बजट सम्बन्धी विस्तृत जानकारी एवं बजट समाचार के लिए आप हमसे निम्न पते पर सम्पर्क कर सकते हैं :-



बजट अध्ययन राजस्थान केन्द्र

पी-1, प्रथम तल, तिलक मार्ग, सी-स्कीम, जयपुर

फोन/फैक्स : (0141) 238 5254

E-mail : info@barcjaipur.org website : www.barcjaipur.org